

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2014—फाल्गुन 5, शक 1935

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2014

क्र. एफ-2 (क) 9-2014-दो-बी-3.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं को आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से रेलवे स्टेशन हबीबगंज, तहसील हुजूर, जिला भोपाल को शासकीय रेलवे पुलिस थाना घोषित करती है और आगे यह निदेश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे और नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित पुलिस थाने में से उसके (सारणी के) कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक	पुलिस थाने का नाम (तहसील और जिले के साथ) जिसमें से अपवर्जित किए गए	स्थानीय क्षेत्र-रेलवे स्टेशन का नाम	होशंगाबाद की तरफ से रेलवे स्टेशनों की बीच की दूरी (कि.मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पुलिस थाना शासकीय रेलवे पुलिस, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (शासकीय रेलवे पुलिस जिला भोपाल).	1. रेलवे स्टेशन, मिसरोद 2. रेलवे स्टेशन, मण्डीदीप 3. रेलवे स्टेशन, इटायकला 4. रेलवे स्टेशन, औबेदुल्लागंज 5. रेलवे स्टेशन, बरखेड़ा 6. रेलवे स्टेशन, चौका 7. रेलवे स्टेशन, मिडघाट 8. रेलवे स्टेशन, नर्मदा बुधनी ब्रिज तक	6 16 21 30 41 48 55 61

क्र. एफ-2 (क) 9-2014-दो-बी-3.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं को आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से रेलवे स्टेशन रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा को शासकीय रेलवे पुलिस थाना घोषित करती है और आगे यह निदेश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे और नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित पुलिस थाने में से उसके (सारणी के) कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक	पुलिस थाने का नाम (तहसील और जिले के साथ) जिसमें से अपवर्जित किए गए	स्थानीय क्षेत्र-रेलवे स्टेशन का नाम	उचेहरा की तरफ से रेलवे स्टेशनों की बीच की दूरी (कि.मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पुलिस थाना शासकीय रेलवे पुलिस, कटनी, तहसील कटनी, जिला कटनी (शासकीय रेलवे पुलिस जिला जबलपुर).	1. रेलवे स्टेशन, उचेहरा 2. रेलवे स्टेशन, लगरगवां 3. रेलवे स्टेशन, सतना 4. रेलवे स्टेशन, सगमा 5. रेलवे स्टेशन, हाटी 6. रेलवे स्टेशन, जैतवारा 7. रेलवे स्टेशन, खुटहा 8. रेलवे स्टेशन, चितहरा 9. रेलवे स्टेशन, मझगवां 10. रेलवे स्टेशन, डभौरा 11. रेलवे स्टेशन, मझियारी 12. रेलवे स्टेशन, हरपालपुर 13. रेलवे स्टेशन, टेहरका 14. रेलवे स्टेशन, निवाडी 15. रेलवे स्टेशन, ओरछा 16. रेलवे स्टेशन, कैमा 17. रेलवे स्टेशन, सकरिया 18. रेलवे स्टेशन, हिनौता रामवन 19. रेलवे स्टेशन, बगहाई 20. रेलवे स्टेशन, तुर्की रोड 21. रेलवे स्टेशन, रीवा	73 64 50 55 60 69 78 84 94 101 124 285 325 339 360 44 39 35 25 12 00

क्र. एफ-2 (क) 9-2014-दो-बी-3.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं को आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से रेलवे

स्टेशन शिवपुरी, तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी को शासकीय रेलवे पुलिस थाना घोषित करती है और आगे यह निदेश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे और नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित पुलिस थाने में से उसके (सारणी के) कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक	पुलिस थाने का नाम (तहसील और जिले के साथ) जिसमें से अपवर्जित किए गए	स्थानीय क्षेत्र-रेलवे स्टेशन का नाम	खजूरी की तरफ से रेलवे स्टेशनों की बीच की दूरी (कि.मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पुलिस थाना शासकीय रेलवे पुलिस, गुना, तहसील गुना, जिला गुना (शासकीय रेलवे पुलिस जिला इन्दौर).	1. रेलवे स्टेशन, खजूरी 2. रेलवे स्टेशन, शिवपुरी 3. रेलवे स्टेशन, रायश्री 4. रेलवे स्टेशन, खोकर 5. रेलवे स्टेशन, कोलारस 6. रेलवे स्टेशन, लुकवासा 7. रेलवे स्टेशन, बदरवास 8. रेलवे स्टेशन, रायश्री जागीर	17 00 09 18 29 43 58 68

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2014

क्र. एफ-2 (क) 9-2014-दो-बी-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-2 (क) 9-2014-दो-बी-3, दिनांक 24 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

No. F-2 (K) 9-14-B-3-Two.— In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette declares Railway Station Habibganj to be a Government Railway Police Station in Bhopal District, Tehsil Huzur and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said table and excludes from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in column (3) thereof :—

TABLE

S. No.	Name of Police Station (with Tehsil and District) from which excluded	Local area-Name of Railway Stations	Distance between Railway Stations (in K.M.) from Hoshangabad side
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Police Station GRP Bhopal, Tehsil Huzur, District Bhopal (GRP District Bhopal).	1. Railway Station, Misrod 2. Railway Station, Mandideep 3. Railway Station, Itayakala	6 16 21

(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Railway Station, Obedullaganj	30
		5. Railway Station, Barkheda	41
		6. Railway Station, Chauka	48
		7. Railway Station, Midghat	55
		8. Railway Station, Budhni till Narmada Bridge.	61

No. F-2 (K) 9-14-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette declares Railway Station Rewa to be a Government Railway Police Station in Rewa District, Tehsil Huzur and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said table and excludes from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in column (3) thereof :—

TABLE

S. No.	Name of Police Station (with Tehsil and District) from which excluded	Local area-Name of Railway Stations	Distance between Railway Stations (in K.M.) from Uchehara side
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Police Station GRP Katni, Tehsil Katni, District Katni (GRP District Jabalpur).	1. Railway Station, Uchehara 2. Railway Station, Lagargawna 3. Railway Station, Satana 4. Railway Station, Sagma 5. Railway Station, Hati 6. Railway Station, Jaitwar 7. Railway Station, Khutha 8. Railway Station, Chitahara 9. Railway Station, Majhgawa 10. Railway Station, Dabhora 11. Railway Station, Majhiyari 12. Railway Station, Herpalpur 13. Railway Station, Teharka 14. Railway Station, Niwari 15. Railway Station, Orchha 16. Railway Station, Kaima 17. Railway Station, Sakariya 18. Railway Station, Hinota Ramwan	73 64 50 55 60 69 78 84 94 101 124 285 325 339 360 44 39 35

(1)	(2)	(3)	(4)
		19. Railway Station, Baghai	25
		20. Railway Station, Turki, Road	12
		21. Railway Station, Rewa	00

No. F-2 (K) 9-14-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette declares Railway Station Shivpuri to be a Government Railway Police Station in Shivpuri District, Tehsil Shivpuri and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said table and excludes from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in column (3) thereof :—

TABLE

S. No.	Name of Police Station (with Tehsil and District) from which excluded	Local area-Name of Railway Stations	Distance between Railway Stations (in K.M.) from Khajuri side
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Police Station GRP Guna, Tehsil Guna, District Guna (GRP District Indore).	1. Railway Station, Khajuri 2. Railway Station, Shivpuri 3. Railway Station, Raishri 4. Railway Station, Khokar 5. Railway Station, Kolaras 6. Railway Station, Lukwasa 7. Railway Station, Badarbas 8. Railway Station, Raishri Jagir	17 00 09 18 29 43 58 68

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
LAXMIKANT DWIVEDI, Dy. Secy.